सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —28 / 2018 अपील (RCMS/2018/00030)
पंजीयन दिनांक —06.03.2018
निर्णय दिनांक —04.12.2018

1. श्री शंकर पिता घासी ब्राह्मण (पालीवाल), निवासी धोईन्दा, हाल निवासी मावली, रेल्वे स्टेशन के पास, रंनिग रूम के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बंशी पिता घासी ब्राह्मण, निवासी धोईन्दा, जोशी मोहल्ला, गायत्री स्कूल मार्ग, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती मोहनी पिता घासी ब्राह्मण, पति श्री नन्द किशोर दवे (पालीवाल) निवासी जलचक्की, वर्मा पेट्रोल पम्प के पीछे, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती एजी बेवा घासी ब्राह्मण, निवासी धोईन्दा, जोशी मोहल्ला, गायत्री स्कूल मार्ग, अरावली वाटिका के पास, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कुंवारिया / तहसीलदार, राजसमन्द, जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री खेमराज डांगी — वकील रेस्पोडेंट संख्या—2

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया प्रकरण संख्या 01 / 2016 दिनांक 07.02.2018

निर्णय

दिनांक 04.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया प्रकरण संख्या 01 / 2016 दिनांक 07.02.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा धोईन्दा, तहसील राजसमन्द में आराजी नम्बर 556 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 557 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 560/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 573 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1038 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार श्री घासी थे। श्री घासी की मृत्यु के उपरान्त उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा विरास्त का नामान्तरकरण संख्या 2257 दिनांक 18.03.2005 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंटस् के पक्ष के स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट श्री शंकर को अपना पक्ष न रखने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील प्रस्तुत की।

जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा निर्णय दिनांक 26.05.2016 से उक्त नामान्तकरण निरस्त कर प्रकरण उप तहसीलदार, कुंवारिया को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि निर्णय में वर्णित ओबजर्वेशन के तहत अपीलार्थी एवं स्वर्गीय घासी जी के अन्य वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लायी जावें। जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपने निर्णय में कथन किया कि–

> ''उप तहसीलदार, कुंवारिया के द्वारा अपीलार्थी के पिता की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2257 दिनांक 18.03.2005 को स्वीकृत किया गया था। अपीलार्थी की ओर से माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द में अपीलार्थी व उसके पिता के बीच चले मुकदमें में घासीजी के द्वारा किये गये समझौते पर लोक अदालत के माध्यम से उक्त समझौता अनुसार पारित डिक्री दिनांक 28.05.92 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था। उक्त मामलें में अपीलार्थी के द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में सिविल न्यायालय की डिक्री को पेश किया जाना प्रकट है किन्तु उक्त मामलें यह स्पष्ट हो चुका है कि सिविल न्यायालय द्वारा स्व. घासीजी द्वारा किये गये समझौता अनुसार डिक्री पारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने से पूर्व समस्त वारिसान की जांच की जाकर एवं सुना जाकर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी के द्वारा यहा कथन किया की अपीलार्थी उक्त मामलें में हितबद्ध व्यक्ति है जिसे नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी और सुना नहीं गया। अतः उक्त मामलें में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अनुसार पुनः जांच की जाकर अपीलार्थी एवं स्वर्गीय घासी के अन्य वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मामलें का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित है।''

उक्त निर्णय दिनांक 26.05.2016 से अंसतुष्ट होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। प्रस्तुत द्वितीय अपील निर्णय दिनांक 09.10.2017 से अस्वीकार कर जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 को यथावत रखा गया।

जिला कलक्टर, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 26.05.2016 अनुपालना में उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा प्रकरण संख्या 01/2016 दर्ज किया गया। उप तहसीलदार, कुवांरिया द्वारा उपरोक्त निर्णयों एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 28.05.1992 में प्रदत्त निर्देशों व समस्त गवाहों के बयान दर्ज कर निर्णय दिनांक 07.02.2018 पारित किया। निर्णय दिनांक 07.02.2018 से आराजी नम्बर 573 रकबा 0.10 बिस्वा शंकर पिता घासी ब्राह्मण निवासी धोईन्दा हाल मावली के नाम पर तथा आराजी नम्बर 1038 रकबा 0.09 बिस्वा सुन्दरलाल पिता दलीचन्द ब्राह्मण के नाम पर व ग्राम धोईन्दा की आराजी संख्या 556 रकबा 1.01 बीघा, 557 रकबा 0.03 बिस्वा, 560/2 रकबा 1.04 को तथा आ.न. 562 रकबा 0.04 में घासी पिता जीवराज ब्राह्मण के बजाय बंषीलाल, शंकरलाल, मोहनी पिता घासी, ऐजीबाई पत्नि स्व. श्री घासी ब्राह्मण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया के निर्णय दिनांक 07.02.2018 से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट श्री शंकर द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर, राजसमन्द एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णयानुसार आदेश पारित नहीं किया गया है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 उपस्थित, जिनकी एकतरफा बहस दिनांक 20.11.2018 को सुनी गई। वकील अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जो अप्राप्त।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–2 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में उप तहसीलदार, कुंवारिया को रिमाण्ड किये जाने पर उप तहसीलदार, कुंवारिया ने न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 26.05.2016 व संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 09.10.2017 की पालना में खातेदार श्री घासी के सभी वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस् को सूचना देकर, सभी के बयान लेखबद्ध किये तथा उपरोक्त निर्णयों की पालना करते हुए निर्णय पारित किया है। जिसके अनुसार आराजी नम्बर 573 रकबा 0.10 बिस्वा भूमि सेशन न्यायालय में हुए राजीनामें अनुसार अपीलान्ट शंकरलाल के नाम दर्ज करने, आ.न. 1038 रकबा 0.09 बिस्वा सुन्दरलाल पिता दलीचन्द के नाम सभी खातेदारों द्वारा विक्रय कर देने से दर्ज करने का आदेश दिया। शेष आराजीयात की भूमि खातेदार घासी के बजाय उसके वारिसान बंशीलाल, शंकरलाल, मोहनी पिता घासी, ऐजीबाई पत्नि स्व. श्री घासी ब्राह्मण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। माननीय सेशन न्यायालय ने राजीनामें अनुसार पारित की गई डिक्री की अपील रेस्पोडेंट मोहनी ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। इस अपील की प्रति व फर्देकाम की नकल भी रेस्पोडेंटस की आरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। इस

तरह अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उप तहसीलदार, कुंवारिया के द्वारा जो विरासत का नामान्तकरण संख्या 2257 दिनांक 18.03.2005 को स्वीकृत किया गया था, उसे माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द में समझौता अनुसार पारित डिक्री दिनांक 28.05.92 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था। विरासत के नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने से पूर्व समस्त वारिसान की जांच की जाकर एवं सुना जाकर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण उपतहसीलदार, कुंवारिया को प्रतिप्रेषित कर निर्णय दिनांक 26.05.2016 पारित किया गया। न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील (प्रकरण संख्या 67/2016) में निर्णय दिनांक 09.10.2017 से जिला कलक्टर, राजसमन्द के निर्णय को यथावत रखा गया। जिला कलक्टर, राजसमन्द एवं न्यायालय हाजा के निर्णय की अनुपालना में खातेदार श्री घासी के सभी वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस् को सूचना देकर, सभी के बयान लेखबद्ध किये तथा उपरोक्त निर्णयों की पालना करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 28.05.1992 एवं अन्य न्यायालयों के निर्णय में प्रदत्त निर्देशों की विधिवत पालना करते हुए, सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए, विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कुंवारिया का निर्णय दिनांक 07.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर